भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 802

09 फरवरी, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश म आयुर्वदिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाना

802. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने का कृपा करगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार आयुर्वदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश के प्रत्येक जिले और प्रखण्ड म आयुष औषधालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश म अब तक खोले गए औषधालयों का संख्या कितनी है और तत्संबंधी जिले-वार और प्रखण्ड-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख): जी, हां। कद्र सरकार आयुवद चिकित्सा पद्धति सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विकास और संवधन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का कद्रीय प्रायोजित स्काम क्रियान्वित कर रहा है। मिशन म अन्य बातों के साथ-साथ आयुवद चिकित्सा पद्धति सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए जाते ह:

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य कद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य कद्रों और जिला अस्पतालों म आयुष सुविधाओं का सह-स्थापना।

(ii) एकमात्र राज्य सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन।

(iii) 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पताल का स्थापना।

(iv) राज्य सरकार के स्नातकपूव और स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थाओं का उन्नयन।

(v) उन राज्यों म राज्य सरकार के नए आयुष शैक्षणिक संस्थाओं का स्थापना करना जहां ये सरकारी क्षेत्र म उपलब्ध नहीं ह।

(vi) आयुष चिकित्सा पद्धतियों म गुणवत्तायुक्त औषधियों के विनिमाण के लिए राज्य सरकार/राज्य सरकार सहकारी समितियों/सावजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सुदृढ़ीकरण।

(vii) एएसयू एंड एच औषधों के कड़े गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।

(viii) आयुष औषधियों और अन्य उत्पादों हेतु गुणवत्तायुक्त कच्ची सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करण और कटाई उपरांत प्रबंधन सहित औषधीय पादपों की खेती के लिए सहायता।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने वर्ष 2023-24 तक चरणबद्ध रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से आयुष मंत्रालय द्वारा 12,500 आयुष स्वास्थ्य और वैलनेस केंद्रों के संचालन को अनुमति दी है। आयुष आधारित निवारक, संवर्धनात्मक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी परिचर्या प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा चिन्हित आयुष औषधालयों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष स्वास्थ्य और वैलनेस केंद्र के रूप में उन्नयनकृत करने की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने मीडिया और अन्य प्रचार कार्यकलापों जैसे आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित आरोग्य मेलों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों के आयोजन के माध्यम से सामान्य रोगों के उपचार के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रसार और संवर्धन के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पहल भी की है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय एनएएम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों जैसे आयुष ग्राम, सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी पहुंच कार्यकलाप, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप, योग का आयोजन, परिधीय ओपीडी और चिकित्सा शिविर का आयोजन, व्यवहार परिवर्तन संचार, स्थानीय औषधीय जड़ी-बूटियों की पहचान और उपयोग के संबंध में ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भी सहायता देता है।

(ग) और (घ): चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए आयुष औषधालय खोलना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। पूरे देश के प्रत्येक जिले और ब्लॉक में नए आयुष औषधालय खोलने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है।

*****